वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
ई-मेल आईडी :hosd@pnb.co.in, टेली : 011-28044866

ई-वोटिंग की सूचना

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 26 फरवरी, 2019 की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) गुरुवार , 28 मार्च, 2019 प्रात: 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 में आयोजित की जाएगी।
2. बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनकी ई-मेल आईडी एसटीए/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत नहीं है, को उक्त सूचना भौतिक रूप में दिनांक 02 मार्च, 2019 पर भेजने और ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनकी ई-मेल आईडी एसटीए/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत है, को ई-मेल दिनांक 02 मार्च 2019 पर भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
3. यह सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है ।
4. सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 21 मार्च, 2019 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी विनियमयन के विनियम 44 (सूचीबद्धता बाधताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) की शर्तानुसार ईजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं । सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

   क. ईजीएम की सूचना में दिए गए कारोबार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा । रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है ।

   ख. रिमोट ई-वोटिंग 25 मार्च, 2019 को प्रात: 9.00 बजे से शुरू होगी ।

   ग. रिमोट ई-वोटिंग 27 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे समापृत होगी और उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा ।

5. कोई सदस्य जिसने ईजीएम सूचना डिस्पैच होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हो और बैंक का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 21 मार्च, 2019 को शेयर धारित करता है, तो उसे सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करना होगा ।

6. केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग करने के साथ-साथ आम बैठक में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनका नाम कट ऑफ तिथि 21 मार्च, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।

7. सदस्य नोट करें कि संकल्प पर एक बार अपना वोट देने के बाद उसे बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।

8. वह सदस्य जिसने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर अपना वोट कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियों के सत्यापन के पश्चात, ई वोटिंग की (key) आम बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।

9. सदस्य वोटिंग की केवल एक विधि अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है । यदि कोई सदस्य दोनों विधियों के माध्यम से अपना वोट देता

है तो ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा ।

10. इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम नोटिस में तथा सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को भेजी गयी ई-मेल मे भी दी गयी है । ई-वोटिंग के संबंध में यदि शेयरधारक कोई पूछताछ या मामला उठाना चाहता है तो वह शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकता है या टोल फ्री नं0 1800225533 या श्री राकेश दल्वी, प्रबन्धक, सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) को ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क कर सकता है।

11. यह दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी बरतें।

12. ई-वोटिंग के परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किये जायेंगे और ईजीएम के पश्चात निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किये जायेंगे।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

नई दिल्ली (बलबीर सिंह)
दिनांक : 05.03.2019 कम्पनी सचिव